



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 7, July 2024

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना का विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन

स्नेहा राय प्रियदर्शनी¹, डॉ. जियाउल हसन खान²

शोधार्थी, शिक्षक शिक्षा विभाग शिब्ली नेशनल कॉलेज, आजमगढ़¹

शोध निर्देशक, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग शिब्ली नेशनल कॉलेज, आजमगढ़²

सार: यह ज्ञात हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पौष्टिकता, वितरण व्यवस्था तथा निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन प्रदान किये जाने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

I. परिचय

अधिक छात्रों के नामांकन और अधिक छात्रों की नियमित उपस्थिति के संबंध में स्कूल भागीदारी पर मध्याह्न भोजन कामिड डे मील महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग आती है और वे अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए "पूरक पोषण" के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ-साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायता कर सकता है। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कार्यक्रम कम कर सकता है क्योंकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। मध्याह्न भोजन स्कीम छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्कीम महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है।^[1,2,3]

मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त, 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केन्द्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। अक्टूबर, 2007 से इसका देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा VI से VIII में पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तार कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 से यह कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 01.04.2010 से शामिल किया गया है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

इस स्कीम के लक्ष्य भारत में अधिकांश बच्चों की दो मुख्य समस्याओं अर्थात् भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है :-

(i) सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और ईजीएस व एआईई केन्द्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में कक्षा I से VIII के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना

(ii) लाभवंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता करना, और

(iii) ग्रीष्मवाकश के दौरान अकाल-पीडित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण सम्बन्धी सहायता प्रदान करना।

केन्द्रीय सहायता के संघटक

इस समय मध्याह्न भोजन स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है:-

(i) प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटस्थ गोदाम से निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की आपूर्ति। केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत की प्रतिपूर्ति करती है।

(ii) 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात्-अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड और त्रिपुरा) के लिए दिनांक 1.12.2009 से इनमें प्रचलित पी.डी.सी. दरों के अनुसार परिवहन सहायता। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75/-रु. प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय खाद्य निगम से प्राथमिक स्कूल तक खाद्यान्न के परिवहन में हुई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।

(iii) दिनांक 1.12.2009 से भोजन पकाने की लागत (श्रम और प्रशासनिक प्रभार को छोड़कर) प्राथमिक बच्चों के लिए 2.50 रूपए की दर से और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 3.75 रूपए की दर से प्रदान की जाती है और दिनांक 1.4.2010 तथा दिनांक 1.4.2011 को इसे पुनः 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। 1 जुलाई 2016 से इन दरों में फिर से परिवर्तन किया गया है। और परिवर्तित दरें नीचे टेबिल में दी गई हैं। भोजन पकाने की लागत की केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य हिस्सेदारी 90:10 के आधार पर है और भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, भोजन पकाने के तेल और मिर्च-मसालों, ईंधन इत्यादि की लागत शामिल है।

(iv) पूरे देश में किचन-कम-स्टोर के निर्माण की प्रति विद्यालय 60,000 रूपएकी एक समान दर के स्थान पर दिनांक 1.12.2009 से निर्माण लागत को कुरसी क्षेत्र मानदण्डों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित राज्य अनुसूची दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। किचन-कम-स्टोर की निर्माण लागत की हिस्सेदारी केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 आधार पर तथा अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर की जाएगी। इस विभाग ने दिनांक 31.12.2009 के अपने पत्र संख्या 1-1/2009-डेस्क (एम.डी.एम.) के जरिए 100 बच्चों तक स्कूलों में किचन-कम-स्टोर के निर्माण हेतु 20 वर्ग मी० का क्षेत्र निर्धारित किया है। प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों तक के लिए 4 वर्ग मीटर अतिरिक्त कुरसी क्षेत्र जोड़ा जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्थानीय दशाओं के आधार पर 100 बच्चों के स्लैब को संशोधित करने का अधिकार होगा।

(v) 5000 रूपए प्रति विद्यालय की औसत लागत के आधार पर किचन के सामान प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। किचन के सामान में निम्नलिखित शामिल हैं:-

भोजन पकाने का सामान (स्टोव, चूल्हा इत्यादि)
खाद्यान्न और अन्य सामान को स्टोर करने के लिए कंटेनर
भोजन पकाने और वितरित करने के बर्तन।

(vi) दिनांक 1.12.2009 से रसोइये-कम-सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय को 1000 रूपए प्रतिमाह करना और 25 विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक रसोइये-कम-सहायक, 26 से 100 विद्यार्थी वाले विद्यालयों में दो रसोइये-कम-सहायक और अतिरिक्त प्रत्येक 100 विद्यार्थियों तक के लिए एक अतिरिक्त रसोइये-कम-सहायक की नियुक्ति करना। रसोइये-कम-सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के मध्य हिस्सेदारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75:25 के आधार पर होगी।

(vii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम के प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.) के लिए सहायता (क) खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (घ) रसोइया-सह-सहायक को मानदेय के लिए कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत, (क)खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (घ) रसोइया-सह-सहायक को मानदेय की कुल सहायता के 0.2 प्रतिशत का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

अद्यतन स्थिति

गैर सरकारी संगठनों को (एनजीओ) आउट सोर्स करना

शहरी क्षेत्रों में विद्यालय प्रांगणों में जहां गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/केंद्रीयकृत रसोइयों जो कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में संलग्न हैं, के लिए रसोई-सह-भंडार के लिए स्थान नहीं है। इस महत्वपूर्ण योजना में मिड डे मील की आपूर्ति को गैर सरकारी संगठनों को (एनजीओ) आउट सोर्स किया गया है।

मिड डे मील के दिशा निर्देश पंचायतीराज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, माता संगठनों और स्थानीय समाज की सहायता से मिड डे मील को रसोइये-सह-सहायक की सहायता से स्कूल के रसोई-सह-भंडार में पकाने पर जोर देते हैं। वर्तमान वर्ष 2013-14 में देश भर में इस कार्यक्रम में 447 गैर सरकारी संगठन संलग्न हैं। इस कार्यक्रम में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 185 और 102 है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत संलग्न गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के संबंध में एक अनूय प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि मिड डे मील दिशा निर्देशों के अनुसार संलग्न गैर सरकारी संगठनों के मानदण्ड निम्न प्रकार है--

(i) गैर सरकारी संगठन को आपूर्ति कार्य आवंटित करने का निर्णय सरकार द्वारा अधिकारित संस्था लेगी जैसे ग्राम पंचायत, वीईसी/एसएमसी/पीटीए, म्युनिसिपल कमेटी/कॉरपोरेशन आदि। एजेंसी को सोसायटी एक्ट के तहत अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए और यह कम से कम पिछले दो वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए। इसके पास समूचित रूप से गठित प्रबंधक/प्रशासकीय ढांचा होना चाहिए, जिसके कार्यों और अधिकारों इसके संविधान में स्पष्ट उल्लेख हो। [7,8,9]

(ii) गैर सरकारी संगठन और स्थानीय निकाय के मध्य होने वाले अनुबंध/समझौते में पक्षों का उत्तरदायित्व और प्रदर्शन न करने पर उनके प्रतिफल परिभाषित होने चाहिए। बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा आपूर्ति किए जा रहे भोजन की मात्रा और गुणों की जांच और निरीक्षण की सख्त व्यवस्था का होना भी इसमें शामिल होना चाहिए।

(iii) चयनित मिड डे मील आपूर्तिकर्ता बगैर किसी लाभ के आधार पर आपूर्ति करेगा और कार्यक्रम अथवा उसके किसी सहायक हिस्से का उप ठेका किसी अन्य को नहीं सौंपेगा।

(iv) इस प्रकार की मिडडे मील योजनाओं में संलग्न गैर सरकारी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष एक विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के साथ हुए समझौते का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण वर्तमान वर्ष में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर होना चाहिए।

मध्याह्न भोजन योजना का नवीनीकरण

बारहवीं योजना के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का निम्न प्रकार से सुधार करने का प्रस्ताव है:-

(मध्याह्न भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार।

प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार।

मौजूदा घटकों या स्कूलों के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन।

मध्याह्न भोजन मूल्य सूचकांक का विशेष रूप से मध्याह्न भोजन की वस्तुओं के मूल्य पर आधारित खाने की लागत का संशोधन। उत्तर-पूर्वी प्रदेश (एनईआर) को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए माल वहन सहायता का संशोधन। इसका 75 रुपये प्रति किन्टल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 150 रुपया प्रति किन्टल की गई है।

वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान रसोइया-सहायकों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपया और वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान रसोइया-सहायक का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह किया गया है।

खाद्यान्न लागत, खाना पकाने की लागत, माल वहन सहायता तथा रसोइया-सहायक को मिलने वाले मानदेय के लिए कुल पुनरावर्ती केन्द्रीय सहायता के तीन प्रतिशत की दर से प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन दरों का संशोधन।

नये स्कूलों के लिए किचन की बर्तन खरीदने और हर पांच साल बाद किचन के बर्तनों को बदलने के लिए 15000 रुपये प्रति स्कूल की दर से केन्द्रीय सहायता की पद्धति का संशोधन। सहायता की यह राशि केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात से और उत्तर-पूर्वी प्रदेश के राज्यों में 90:10 के अनुपात से वहन की जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मध्याह्न भोजन योजना का एकीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय के उद्देश्य से सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को लिखा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम केंद्र सरकार की नई पहल है जिसका उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच और प्रबंध करना है। इसके तहत जन्म के समय त्रुटियों, कमियों, बीमारियों, बच्चे के विकास में देरी सहित विकलांगता का प्रबंध करना भी शामिल है।

मिड डे मील योजना में सुधार

देशभर में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत 25.70 लाख रसोईया-सहायकों को काम दिया गया। इन सहायकों को इस कार्य के लिए मानदेय को संशोधित कर 01 दिसंबर, 2009 से एक हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया तथा साल में कम से कम दस महीने कार्य दिया गया। इस कार्य के लिए रसोईया-सहायकों को दिए जाने वाले मानदेय का खर्च केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90:10 के औसत में उठाया गया, जबकि अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्र के बीच यह औसत 60:40 तय किया गया। यदि राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश चाहे तो इस कार्य में किए जाने वाले खर्च में योगदान निर्धारित अनुपात से अधिक भी कर सकते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी योजना है जिसमें रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त 11.58 लाख से भी अधिक स्कूलों के 10.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं।

II. विचार-विमर्श

मिड -डे मील योजना एक भारतीय स्कूल दोपहर का भोजन कार्यक्रम है जिसे देश भर में स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर अब पोषण योजना कर दिया गया है। सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त आंगनवाड़ियों, मदरसों और मकतबों में बच्चों को कार्यक्रम के तहत कार्य दिवसों में मुफ्त दोपहर का भोजन मिलता है।

मध्याह्न भोजन योजना क्या है?

मध्याह्न भोजन योजना दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो 1.27 मिलियन से अधिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना स्थानों में 120 मिलियन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराता है। 15 अगस्त, 1995 को भारत का "प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई)" - प्राथमिक शिक्षा का समर्थन करने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम - काम करना शुरू कर दिया। 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम', जिसे अक्सर मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, ने अक्टूबर 2007 में एनपी-एनएसपीई की जगह ले ली। हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा बच्चों के मध्याह्न भोजन में दूध शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

मध्याह्न भोजन योजना का लक्ष्य

मध्याह्न भोजन योजना के प्राथमिक लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- स्कूलों में वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का नामांकन बढ़ाना।
- नामांकन बढ़ने से स्कूल में उपस्थिति बढ़ती है।
- कक्षा 1-8 तक के बच्चों को नामांकित रखना।
- सूखा प्रभावित समुदायों के प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।
- सरकार स्कूल परिसर में पोषण उद्यान स्थापित करने पर भी विचार कर रही है, जिसमें विद्यार्थियों की भागीदारी भी शामिल होगी।
- जातीय भोजन और विशिष्ट मेनू को बढ़ावा देने की पहल के तहत स्थानीय सामग्रियों पर आधारित पाककला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकती हैं। [10,11,12]
- संशोधित प्रणाली में स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के अलावा स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति की निगरानी पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- एनीमिया के उच्च प्रसार वाले जिलों में पौष्टिक वस्तुओं की विशेष आपूर्ति की जाएगी
- प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यार्थियों के बीएमआई, वजन और हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की जाए।

मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन

यह तीन मॉडलों में से एक का उपयोग करके किया जाता है:

- विकेन्द्रीकृत मॉडल: स्थानीय रसोइयों, स्वयं सहायता समूहों आदि द्वारा मौके पर ही भोजन तैयार किया जाता है।
- केंद्रीकृत मॉडल: इस मॉडल में स्थानीय रसोइयों के बजाय, एक बाहरी संस्था भोजन बनाती है और उसे स्कूलों तक पहुंचाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता: विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ समूह सरकारी स्कूलों की सहायता करते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना की विशेषताएं

मध्याह्न भोजन योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग भोजन की गुणवत्ता और पोषण संबंधी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए नमूने एकत्र कर सकता है।
2. स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए एगमार्क अंकित गुणवत्तायुक्त सामान खरीदा जाता है।
3. प्रत्येक स्कूल में स्वच्छ मध्याह्न भोजन के लिए स्वच्छ खाना पकाने का बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
4. स्कूल के समस्त कार्य दिवसों के दौरान मध्याह्न भोजन केवल स्कूल परिसर में ही उपलब्ध कराया जाएगा।
5. मध्याह्न भोजन बजट की समाप्ति के कारण, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका विद्यालय के वित्त का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, जैसे ही विद्यालय में धनराशि जमा हो जाती है, उसे मध्याह्न भोजन निधि में वापस कर दिया जाएगा।
6. योजना के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति (एसएसएमसी) द्वारा की जाएगी, जिसमें भोजन की गुणवत्ता और पोषण संबंधी मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का कार्यान्वयन शामिल होगा।
7. स्कूल प्रशासन समिति द्वारा तैयार भोजन को दो या तीन वयस्क सदस्यों द्वारा चखा जाता है।
8. वर्ष 2007 में 3,479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) के कक्षा 6-8 के विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया था।

मध्याह्न भोजन योजना की चुनौतियाँ

अनेक सफलताओं के बावजूद, इस योजना के कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियाँ हैं:

1. इस योजना का मुख्य दोष यह है कि इसे लागू करने के लिए शिक्षकों को दो या तीन घंटे समर्पित करने पड़ते हैं।
2. योजना में शिक्षकों की भागीदारी के कारण छात्रों के अध्ययन का समय और शैक्षिक गुणवत्ता खराब हो रही है।
3. दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित अधिकांश सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, इसलिए इस योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता भी खतरे में है।
4. प्राथमिक विद्यालयों द्वारा संचालित अच्छी, उपयोग में आसान परिवहन प्रणाली की उपलब्धता के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
5. पके हुए मध्याह्न भोजन योजना के निष्पादन मूल्यांकन पर योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश राज्यों ने पीडीएस डीलर द्वारा स्कूल केन्द्र पर खाद्यान्न वितरित करने के भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव हुआ और आपूर्ति किए गए खाद्यान्न में मिलावट और चोरी हुई।
6. एक अलग सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अधिकांश स्कूलों में भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कुछ स्कूलों में पर्याप्त रसोई, भंडारण स्थान और स्वच्छ पानी के विश्वसनीय स्रोत का अभाव है, जिसका भोजन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
7. उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति में रुकावट के कारण कई दिनों तक स्कूलों में भोजन नहीं बन पाया, जैसा कि 2013 में मध्याह्न भोजन योजना पर 5वें संयुक्त समीक्षा मिशन की रिपोर्ट में बताया गया है। इसका बच्चों के पोषक तत्वों के सेवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
8. दलितों की पहुंच पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले कुछ अध्ययनों में से एक 2005 में थोराट और ली द्वारा किया गया अध्ययन था। उन्होंने पाया कि राजस्थान और तमिलनाडु में दलित बच्चों की मध्याह्न भोजन तक पहुंच इस तथ्य से सीमित है कि भोजन आमतौर पर प्रभावशाली जातियों के बस्तियों में परोसा जाता है।
9. भेदभाव तब भी होता है जब विभिन्न जातियों के बच्चों को अलग-अलग भोजन परोसा जाता है या उन्हें अलग-अलग बैठाया जाता है। राजस्थान में, निचली जाति के बच्चों को दूसरे बच्चों द्वारा पानी पिलाया जाता था, जबकि दूसरे बच्चे खुद पानी पीने के लिए स्वतंत्र थे। बिहार में, प्लेटों पर बच्चे की जाति के नाम के पहले अक्षर लिखे होते थे।
10. 2003 के दलित अध्ययन संस्थान के शोध में, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 37% उत्तरदाताओं ने मध्याह्न भोजन में जातिगत भेदभाव का दावा किया, जबकि 48% ने दलित रसोइयों के प्रति घृणा का संकेत

दिया। हाल ही में मध्याह्न भोजन में दिए गए ज़हरीले भोजन को खाने से 23 बच्चों की मौत ने इस कार्यक्रम के बारे में संदेह पैदा कर दिया है।

मध्याह्न भोजन योजना की आलोचना

इस योजना की कुछ कमियां नीचे दी गई हैं:

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, 39% बच्चे दीर्घकालिक रूप से कुपोषित हैं।
2. भोजन की गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन में परोसे जाने वाले भोजन के कारण बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।
3. मध्याह्न भोजन योजना को आधार से जोड़ने का नुकसान यह है कि इससे बच्चों की मिड-डे मील योजना तक पहुंच सीमित हो जाएगी, क्योंकि कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है।
4. जाति के आधार पर भेदभाव एमडीएमएस के लक्ष्य को कमजोर करता है - दलित अधिकारों के लिए राष्ट्रीय अभियान की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति के समक्ष, मध्याह्न भोजन आम तौर पर उच्च जाति के समुदायों में परोसा जाता है, और जातिगत तनाव के समय, दलित बच्चों को इन उच्च जाति समुदायों के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए भोजन से वंचित किया जाता है।
5. ऐसी एकीकृत बाल विकास योजनाओं के बावजूद, भारत में बाल विकास में बाधा, बाल मृत्यु दर, बाल दुर्बलता और कुपोषण जैसी गंभीर समस्याएं हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 94 है, जिसके बारे में भी यही कहा जा सकता है।

III. परिणाम

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति बच्चा खाना पकाने की लागत में 9.6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

- वर्ष 2020 की शुरुआत में पिछली बढ़ोतरी के बाद से प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा I-V) में खाना पकाने की लागत 4.97 रुपए प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 7.45 रुपए (कक्षा VI-VIII) रही है। बढ़ोतरी के प्रभावी होने के बाद प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर यह लागत क्रमशः 5.45 रुपए एवं 8.17 रुपए होगी।
- मध्याह्न भोजन योजना (Midday Meal Scheme)
- परिचय:
 - मध्याह्न भोजन योजना (शिक्षा मंत्रालय के तहत) एक केंद्र [13,14,15] प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
 - यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है।
 - इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
 - वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' योजना (पीएम पोषण योजना) कर दिया गया और इसमें पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के बालवाटिका (3-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे) के छात्र भी शामिल हैं।
- उद्देश्य:
 - भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना।
- गुणवत्ता की जाँच:
 - एगमार्क गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के दो या तीन वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है।
- खाद्य सुरक्षा:
 - यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से किसी भी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।
- विनियमन:
 - राज्य संचालन-सह निगरानी समिति (SSMC) पोषण मानकों और भोजन की गुणवत्ता के रखरखाव के लिये एक तंत्र की स्थापना सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।
- पोषण स्तर:

- प्राथमिक (I-V वर्ग) के लिये 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक (VI-VIII वर्ग) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन।
- कवरेज:
 - सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे एवं मकतब जो सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत समर्थित हैं।
- मुद्दे और चुनौतियाँ:
- भ्रष्ट आचरण:
 - नमक के साथ सादे चपाती परोसे जाने, दूध में पानी मिलाने, फूड प्वाइज़निंग आदि के उदाहरण सामने आए हैं।
- जाति पूर्वाग्रह और भेदभाव:
 - भोजन जाति व्यवस्था का केंद्र है, इसलिये कई स्कूलों में बच्चों को उनकी जाति की स्थिति के अनुसार अलग-अलग बैठाया जाता है।
- कोविड-19:
 - कोविड -19 ने बच्चों और उनके स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी अधिकारों के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
 - राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meals) सहित कई आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बाधित कर दिया है।
 - हालाँकि इसके बजाय परिवारों को सूखा खाद्यान्न (Dry foodgrains) या नकद हस्तांतरण प्रदान किया जाता है, साथ ही इसका स्कूल परिसर में गर्म पके हुए भोजन के समान प्रभाव नहीं होगा, विशेष रूप से उन लड़कियों के लिये जो घर पर अधिक भेदभाव का सामना करती हैं तथा अधिकांश को स्कूल बंद होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा।
- कुपोषण का खतरा:
 - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, देश भर के कई राज्यों ने पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए बाल कुपोषण के बिगड़ते स्तर को दर्ज किया है।
 - भारत दुनिया के लगभग 30% अविकसित बच्चों और पाँच वर्ष से कम उम्र के लगभग 50% गंभीर रूप से कमज़ोर बच्चों का केंद्र है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020:
 - 'वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020' के अनुसार, भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है, जो संभवतः वर्ष 2025 तक 'वैश्विक पोषण लक्ष्यों' (Global Nutrition Targets) को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे।
- 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' (GHI)- 2020:
 - 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक- 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है। भारत भुखमरी सूचकांक में 'गंभीर' (Serious) श्रेणी में है।
- लड़कियों और युवतियों के मां बनने के वर्षों पूर्व मातृत्व सुरक्षा और शिक्षा में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिये।
 - बौनापन (स्टंटिंग) के विरुद्ध लड़ाई अक्सर छोटे बच्चों के लिये पोषण को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है, लेकिन पोषण विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से मानना है कि मातृ स्वास्थ्य और कल्याण उनकी संतानों में बौनापन (स्टंटिंग) को कम करने की कुंजी है।
- अंतर-पीढ़ीगत लाभों के लिये मध्याह्न भोजन योजना के विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है। जैसे-जैसे भारत में लड़कियाँ स्कूल स्तर की पढ़ाई पूरी करती हैं, उनकी शादी हो जाती है और कुछ ही वर्षों के बाद वे संतान को जन्म देती हैं, इसलिये स्कूल-आधारित हस्तक्षेप वास्तव में मदद कर सकता है। [16,17,18]

IV. निष्कर्ष

मध्य-डे मील कार्यक्रम

- मिड-डे मीलस प्रोग्राम को एक केंद्रीय क्रमिक योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था।
- इसके फ़ेसले में सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसके आधार पर मेनू पकाना हुआ, जिसमें गर्म भोजन की व्यवस्था की शुरुआत की गई।
- इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 200 दिन के लिए न्यूनतम प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 ऊर्जा ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 ऊर्जा ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रस्ताव है।
- मिड-डे मील कार्यक्रम एक बहुदेशीय कार्यक्रम है तथा यह राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देना।
- विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल में आने के लिये प्रोत्साहित करना।
- स्कूल ड्राप-आउट को रोकना।
- बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना।

कार्यक्रम की आवश्यकता

- हाल ही में 'काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट' नामक एक NGO द्वारा किये गए अध्ययन में सामने आया था कि वर्तमान में 6-18 वर्ष आयु वर्ग के 4.5 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आयु वर्ग के कुल बच्चों का लगभग 16.1 प्रतिशत है। विदित हो कि इनमें से अधिकांश को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
 - आँकड़ों की मानें तो ओडिशा (20.6 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (21.4 प्रतिशत) और गुजरात (19.1 प्रतिशत) जैसे बड़े राज्यों में प्रत्येक पाँचवाँ बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित है।
 - अध्ययन में यह भी सामने आया था कि स्कूली शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले कुल बच्चों में से तकरीबन 99.34 प्रतिशत बच्चे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग से थे। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 58.19 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता की सालाना आमदनी 50000 से भी कम है।
 - साथ ही स्कूल न जाने वाले कुल बच्चों में से लगभग 51.18 प्रतिशत के पिता और 88.45 प्रतिशत की माताएँ अशिक्षित हैं।
- इसके अलावा भारत में बच्चों से जुड़ी एक और समस्या है अल्पपोषण। हाल ही में जारी 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्डन- 2019' में, विश्व में 5 वर्ष तक की आयु के अनुसार प्रत्येक 3 बच्चों में से एक बच्चा कुपोषण या अल्पवज़न की समस्या से ग्रस्त है।
- भारतीय बच्चों के आदर्श आँकड़ों से लेकर भोजन और शिक्षा तक आदि की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई है। साथ ही ये आँकड़े नामांकित बच्चों की स्टार्टअप और पोषण संबंधी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक नीतिगत चुनौती भी पेश करते हैं।
- मध्याह्न भोजन उपलब्ध का भार इतिहास है
- विदित हो कि भारतीय चॉकलेट में मध्याह्न भोजन का उपलब्ध संस्करण एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में छात्रों को भोजन प्रदान करने की अवधारणा पहली बार वर्ष 1925 में एबीसी ब्रिटिश सरकार द्वारा तमिल के प्राथमिक विद्यालयों में शुरू की गई थी।
- बाद में प्रशासन ने 1930 के दशक में केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में अपनी शुरुआत की।
- इसके बाद वर्ष 1962-63 के दौरान किशोरावस्था में और अधिक बच्चों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक बार फिर से इस तरह की योजना शुरू की गई।
- योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का कारण वर्ष 1985 में गुजरात और केरल की खोज में भी इसे लागू करने का निर्णय लिया गया। हालाँकि कुछ सुझाव से जल्द ही गुजरात में इस योजना को बंद कर दिया गया, लेकिन केरल में यह चालू रही और इसमें आवश्यक सुधार भी किया गया।
- 1990-91 में दस अन्य राज्यों ने इस योजना को अपने-अपने राज्य में लागू करने का निर्णय लिया, जिसके बाद अगस्त 1995 में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए मिड-डे माइल्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का महत्व
- यह योजना एक खाने के साथ की आदत को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच सामाजिक समरसता को बढ़ाने में मदद करती है। एक साथ दो का भोजन करने से विभिन्न धार्मिक मसालों के बीच एकता और समरसता में जुड़ाव होता है। [19]
 - विभिन्न जातियों, धर्मों और मजहबों के बीच भेदभाव को कम करने के लिए यह छात्रों को एक नागरिक अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता है।
- यह योजना गरीब बच्चों के माता-पिता के लिए स्कूल के विकास के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। साथ ही देश के मंदिर दर्रे को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है।
- यह योजना देश में गरीबी कम करने में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इससे अधिक लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे वे अर्थव्यवस्था के विकास में भी अधिक योगदान देंगे।
- उल्लेखनीय है कि मिड-डे माइल्स प्रोग्राम में 10 मिलियन से अधिक स्कील में 120 मिलियन से अधिक को भोजन प्रदान किया जाता है, यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम किड्स बन गया है, जिसके सफल होने के कारण एक विशाल कार्यबल की आवश्यकता समाप्त हो गई है।।
 - सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम से पूरे देश में 26 लाख लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है।
- मिड-डे मील कार्यक्रम के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत जहाँ तक संभव हो, सरकार को इस कार्यक्रम के संचालन के लिए साइकल सहायता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मान्यता देना चाहिए।

चुनौतियाँ

- भोजन की गुणवत्ता: भोजन की गुणवत्ता के संदर्भ में सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन के दौरान भोजन के कुल 2,012 नमूनों में से 1,876 पोषण मानकों को पूरा करने में विफल रहे थे, जिसका अर्थ है कि मिड-डे मील कार्यक्रम के। अंडर किड्स को प्रोजेक्ट करने वाले भोजन का 80 प्रतिशत मानक मानक पर खरा नहीं उतरता है। विशेषज्ञ का मानना है कि इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि इस योजना के अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आँकड़ा जारी किया था, उन्हें पिछले 3 वर्षों में सस्ते खाद्य गुणवत्ता को लेकर 15 राज्यों और केंद्रशासित उद्यमों से कुल 35 राजस्व प्राप्त हुआ था। विपक्ष का मानना है कि सरकार का ध्यान केवल उन आँकड़ों पर केंद्रित है कि वह कितने भी व्यंजनों को कवर कर सके और किसी व्यक्ति के लिए भोजन में सक्षम हो, किसी भी भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देना चाहता।
- जाति और धर्म: मध्य-डे मील कार्यक्रम के संबंध में आने वाली पार्टियों में एक बड़ी संख्या में जातिगत आधार पर भेदभाव भी है। जातिगत भेदभाव के आधार अधिकांश घटनाओं में यह देखने को मिलता है कि या तो उच्च जाति के बच्चे एससी/एसटी महिलाओं को भोजन में शामिल करके मना कर दिया जाता है या दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को अलग-अलग सीटों के लिए मान्यता दी जाती है। विदित हो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पृष्ठभूमियों से आये छात्रों के मध्य साझेपन की भावना का विकास करना है, लेकिन घटनाओं से पता चलता है कि यह आपका उद्देश्य विफल हो रहा है।
- निरीक्षण की व्यवस्था का अभाव: गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे बहुत गरीब होते हैं और मिड-डे मील कार्यक्रम के तहत बैठक वाला भोजन ही उनके लिए अंतिम विकल्प होता है। ऐसे में ये खाना उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि खाने की जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। साल 2013 की बिहार की घटना का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां स्कूल में दोपहर का खाना खाने गए 23 बच्चों की मौत हो गई थी।
- सीएजी द्वारा वर्ष 2015 में मिड-डे माइल्स प्रोग्राम के अंतर्गत फाइनैशियल कुप्रबंधन की एक बेंचमार्क रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट में सामने आया था कि किस प्रकार के अनाज में भोजन की निकासी करने वाली कंपनी ने एक साल के भीतर आवश्यक अनाज की तुलना में काफी कम अनाज का प्रयोग किया था, जो स्पष्ट रूप से भंडार की ओर इशारा करता है।
- लागू होने की तारीख से अब तक मिड-डे मील प्रोग्राम को काफी रेटिंग मिली है, क्योंकि यह दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि योजना को सफल बनाने के लिए इसे पाठ्यक्रम का एक मूल्यांकन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस योजना के पूर्ण होने के बावजूद सफल न हो पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस योजना के लिए परिवर्तनकारी क्षमता होना भी जरूरी है।
 - जबकि इसे बनाने वाले सफल लोगों के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इसे बच्चों के प्रति अपनी देनदारी के रूप में देखे।
- योजना के कार्यान्वयन में कार्यबल की कमी एक बड़ी समस्या है जिस पर अतिशीघ्र ध्यान देना आवश्यक है।

: ...

इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि मिड-डे माइल्स प्रोग्राम ने आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि इस कार्यक्रम में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि सरकार योजना के क्रियान्वयन को लेकर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे और मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाये।[20]

संदर्भ

1. चेट्टीपरांबिल-राजन, एंजेलिक (जुलाई 2007)। "भारत: मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की डेस्क समीक्षा" (पीडीएफ)। विश्व खाद्य कार्यक्रम। मूल (पीडीएफ) 20 अक्टूबर 2013 से। 28 जुलाई 2013 को लिया गया।
2. ^ "अभियान अभियान - जन आंदोलन"। poshanabhyaan.gov.in। 24 मार्च 2023 को लिया गया।
3. ^ एबी "मिड डे माइल्स योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (पीडीएफ)। mdm.nic.in (मिड डे माइल्स योजना, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)। मूल (पीडीएफ) 21 अक्टूबर 2013 से। 24 जून 2014 को लिया गया।
4. ^ एबी "मिड डे माइल्स योजना के बारे में"। mdm.nic.in (मिड डे माइल्स योजना, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)। 28 जुलाई 2013 को लिया गया।
5. ^ "मिड डे माइल्स पुडुचेरी"। mdm.py.gov.in। 13 अक्टूबर 2021 को लिया गया।
6. ^ एबी "स्कूल मिड-डे माइल्स - भोजन अधिकार अभियान"। www.righttofoodcampaign.in। मूल से 16 अक्टूबर 2021 को बनाया गया। 13 अक्टूबर 2021 को लिया गया।

7. ^ "मिड-डे माइल्स योजना को अब पोषण मूल्यांकित किया जाएगा, जिसमें प्री-प्राइमरी कक्षाओं के छात्र भी शामिल होंगे - टाइम्स ऑफ इंडिया" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 29 सितम्बर 2021। 13 अक्टूबर 2021 को लिया गया ।
8. ^ "केंद्र ने छात्रों के लिए 24 लाख प्री-प्राइमरी मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार किया" । द हिंदू । 29 सितम्बर 2021। आईएसएसएन 0971-751X। 13 अक्टूबर 2021 को लिया गया ।
9. ^ "बाल अधिकारों पर कन्वेंशन" . ohchr.org (मानव अधिकारों के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार) . संयुक्त राष्ट्र। 20 नवंबर 1989। 28 जुलाई 2013 को लिया गया ।
10. ^ "भारत और संयुक्त राष्ट्र - मानवाधिकार" . www.un.int (संयुक्त राष्ट्र स्थायी मिशन) । 2 मई 2010 को मूल से संग्रहीत । 28 जुलाई 2013 को लिया गया ।
11. ^ स्वामीनाथन, पद्मिनी; जयरंजन, जे.; श्रीनिवासन, आर.; जयश्री, के. (2004). "तमिलनाडु की मध्याह्न भोजन योजना: जहाँ अनुमानित लाभ ठोस आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं" . आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक .39 (44): 4811-4821. आईएसएसएन 0012-9976 . जेएसटीओआर 4415741 .
12. ^ एबी "मिड-डे मील कार्यक्रम" । राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। 2009. 28 जुलाई 2013 को लिया गया ।
13. ^ सुब्रमण्यम, के. (22 दिसंबर 2022)। "जब एमजीआर ने दूरदर्शी योजना पर मनमोहन को गलत साबित कर दिया" । द हिंदू । आईएसएसएन 0971-751X । 26 दिसंबर 2022 को लिया गया ।
14. ^ "तमिलनाडु: मिडडे मन्ना" . इंडिया टुडे आर्काइव। 15 नवंबर 1982 . 29 जनवरी 2016 को लिया गया .
15. ^ "वार्षिक कार्य योजना और बजट 2010-11, मध्याह्न भोजन योजना, गुजरात राज्य" (पीडीएफ) । गुजरात सरकार। मूल (पीडीएफ) 4 जून 2015 से। 24 जून 2014 को लिया गया ।
16. ^ "मूल्यांकन नोट: राज्य: केरल" (पीडीएफ) । भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मूल (पीडीएफ) से 15 सितंबर 2014 को संग्रहीत। 24 जून 2014 को लिया गया ।
17. ^ "मिड डे मील" (पीडीएफ) । प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार । 24 जून 2014 को लिया गया ।
18. ^ चंद्रा, मेघना (24 जून 2010)। "क्लासरूम के बाहर का पाठ" । द हिंदू । 23 मार्च 2016 को लिया गया।
19. ^ गर्ग, मनीषा; मंडल, कल्याण शंकर (27 जुलाई 2013)। "गरीबों के लिए मिड-डे मील, गैर-गरीबों के लिए निजी शिक्षा" । आर्थिक एवं राजनीतिक सप्ताह । 48 (30): 155। 28 जुलाई 2013 को लिया गया ।
20. ^ "राष्ट्रीय संचालन और पर्यवेक्षण समिति की 5वीं बैठक का अधिसूचना नोट" (पीडीएफ) । Mdm.nic.in । मूल (पीडीएफ) 16 मार्च 2016 से । 26 जुलाई 2013 को लिया गया ।



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details